

15/4/25

वकील प्रार्थी उपर जवाब प्राप्ता हेतु वकील
अप्रार्थी को आवान लगाने पर भी उपर नहीं।
जवाब अप्रार्थी का बंद किया जाता है। वही
बंद हेतु फावली दिनांक 19/5/25 को
पेश की 88L

पीठासीन अधिकारी महो. सचिवीय में
कानून व्यवस्था / मजदूरी न राजकार्य में
व्यक्ति को नारा दिनांक 19/5/25
के साक्ष्य मुकदमा में आपापी तरीख
पेश दिनांक 27/6/25
नियत की जाती है।

पीठासीन अधिकारी महो. सचिवीय में
कानून व्यवस्था / मजदूरी न राजकार्य में
व्यक्ति को नारा दिनांक 27/6/25
के साक्ष्य मुकदमा में आपापी तरीख
पेश दिनांक 28/12/25
नियत की जाती है।


पीठासीन अधिकारी महो. सचिवीय में
कानून व्यवस्था / मजदूरी न राजकार्य में
व्यक्ति को नारा दिनांक 28/12/25
के साक्ष्य मुकदमा में आपापी तरीख
पेश दिनांक 3/9/25
नियत की जाती है।

3/9/25

वकील प्रार्थी उपर बंद प्रार्थी वकील बुकी गरीब
प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया की
कठोर काशर की आरापीयात खलरा नम्बर 100।
आर्के ग्राफ खण्ड में अप्रार्थीगण खेचान कलेपर
आप्राण है। जबकि प्रार्थीगण की उक्त आरापीयात में
संयुक्त फावली काशरका है। किना छिली बंदवार

के अन्य किसी व्यक्ति को बेचान कर दिया
जाता है तो प्राथमिक के अप्रतिलिप्य दाखिल
इसलिए उक्त विवाहित भूमि का बेचान हेतु
अप्राथमिकों के पारण फलामा जवां

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया जिसमें लम्बर 2077-80
बसरा नम्बर 100 का 2-15 बीघा बर्कतगंज
कस्बा खण्ड में बालेडा रमनाथी, कोटा दको
पुत्रीया क्षेत्र जाते केवा अंकित है जबकि
प्राथमिक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अंकित
नहीं किया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र की
पुत्रीया है पुष्क दृष्टा मामला प्राथमिकों
पक्ष में प्रतिक नहीं होता है इसलिए पुत्रीया
व अप्रतिलिप्य दाखिल भी प्राथमिकों के पक्ष में प्रतिक
नहीं होती है प्राथमिक का प्राथमिक पत्र
अवलोकन किया जाता है पत्रावली पुस्तक
द्वारा नम्बर (1) का है


उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सो मा०)